न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 1169 सन 2021
अनवान :-

1. मंथन बिजारणिया पुत्र राकेश बिजारणिया नाबालिग जरिये कुदरती वली संरक्षिका माता राजबाला पत्नी राकेश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राकेश पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. बलवीर पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. सुलोचना पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. रामबाई पत्नी फुसाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
5. उन्नती पुत्री राकेश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
6. महक पुत्री राकेश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
7. ओमप्रकाश पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
8. ज्याना पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
9. महावीर पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
10. रणजीत पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
11. रामकुमार पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
12. शिशपाल पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेशोकार राज

निर्णय दिनांक :- 25/01/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 125/46 की कुल 8.0960हैक्ट में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 के नाम दर्ज है एवं रोही मोजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 108/105 की कुल 4.0480हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 253/4044हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज गौजीराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उसके पुत्र निराणा एवं फुसाराम के नाम से दर्ज हुई जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 12 के नाम से दर्ज हुई है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के पूर्वजो ने वाद भूमि के अलावा अन्य भूमियों का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई थी जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त मे चली आ रही है वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि विरासतन/बाहमी बटवारा में प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 5 ,6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने अन्य खाते मे भूमि रखी जाकर वाद भूमि में अपने हको का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 12 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 12 के नाम से दर्ज भूमि का वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 12 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उनके पूर्वजो के देहान्त होन पर विरासतन से दर्ज हुई है प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का आपसी सहमति /बाहमी बटवारा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में की हुई है इसप्रकार वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जो विरासतन/बाहमी बटवारा में प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने भी अन्य खाते में भूमि रखी जाकर वादी भूमि में अपने हकों का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाव शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 125/46 की कुल 8.0960हैक में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 के नाम दर्ज है एवं रोही मोजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 108/105 की कुल 4.0480हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 253/4044हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज मौजीराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उसके पुत्र निराणा एवं फुसाराम के नाम से दर्ज हुई जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 12 के नाम से दर्ज हुई है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के पूर्वजो ने वाद भूमि के अलावा अन्य भूमियों का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई थी जो वर्तमान मे वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि विरासतन/बाहमी बटवारा में प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 5 ,6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने अन्य खाते में भूमि रखी जाकर वाद भूमि में अपने हको का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 125/46 की कुल 8.0960हैक में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 के नाम दर्ज है एवं रोही मोजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 108/105 की कुल 4.0480हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 253/4044हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि वादी के पूर्वजो के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 7 ता 12 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का आपसी राहमति /बाहमी बटवारा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में की हुई है वादी के कथनो के प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हकों का त्याग /बाहमी बटवारा के अनुसार किया जा चुका है।

वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम विरास्तन/बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 का बराबर का हक हिस्सा है ।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादी की बहने है एव प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य चक 5 ए बारानी में भूमि रखी जाकर वाद भूमि में अपने हकों का त्याग किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन मे इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एव पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 125/46 की कुल 8.0960हैक में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 108/105 की कुल 4.0480हैव भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 253/4044 हिस्सा भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मोजा चक 5 ए बारानी की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/01/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बरारे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मंथन बिजारणिया पुत्र राकेश बिजारणिया नाबालिग जरिये कुदरती वली संरक्षिका माता राजबाला पत्नी राकेश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राकेश पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. बलवीर पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. सुलोचना पुत्री फुसाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. रामबाई पत्नी फुसाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
5. उन्नती पुत्री राकेश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
6. महक पुत्री राकेश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
7. ओमप्रकाश पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
8. ज्याना पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
9. महावीर पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
10. रणजीत पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
11. रामकुमार पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
12. शिशपाल पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1169 सन 2021 निर्णय दिनांक– 25/01/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 125/46 की कुल 8.0960हैक्ट में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 108/105 की कुल 4.0480हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 253/4044 हिस्सा भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मोजा चक 5 ए बारानी की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner